अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली) राजस्थान
बइजलासः हसमुख कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्याः–1138/2018
प्रार्थीगणः–
प्रार्थीः–विजयसिंह पुत्र दुर्जनसिहजी, आयु 74 वर्ष जाति राजपूत, निवासी देवडों का गुडा, तहसील देसूरी जिला पाली राजस्थान

बनाम
अप्रार्थीगण

01–श्रीबालुसिंह पुत्र हरनाथसिंहजी, आयु बालिग जाति राजपूत,
02–श्रीमदनसिंह पुत्र हरनाथसिंहजी, आयु बालिग जाति
03–लेहर कुंवर पत्नी हरनाथसिंहजी, स्वर्गवास से वैध प्रतिनिधि अप्रार्थी संख्या 1, 2,
04– सोहनसिंह पुत्र गेनसिंहजी का स्वर्गवास होने से
4/1– कल्याणसिंह पुत्र सोहनसिंहजी आयु बालिग,
4/2– कैलाशकंवर पुत्री सोहनसिंहजी आयु बालिग,
4/3– फतेहसिंह पुत्र सोहनसिंहजी आयु बालिग
4/4– मोरकंवर पत्नी सोहनसिंहजी आयु बालिग,
4/5– भंवर कंवर पुत्री सोहनसिंहजी आयु बालिग,
अप्रार्थी संख्या 1 से 4/5 सभी जाति राजपूत, निवासी देवडों का गुडा तहसील देसूरी जिला पाली राजस्थान
05– रूपसिंह पुत्र दुर्जनसिंहजी, जाति राजपूत, (तथाकथित अनजान नाम)
06– पेपसिंह पुत्र दुर्जनसिंहजी, जाति राजपूत, (तथाकथित अनजान नाम)
07– केशरसिंह पुत्र किशनसिंहजी जाति राजपूत, (तथाकथित अनजान नाम)
08– पेपसिंह पुत्र पेमसिंहजी, जाति राजपूत, (तथाकथित अनजान नाम)
09– रूपसिंह पुत्र दुर्जनसिंहजी, जाति राजपूत, (तथाकथित अनजान नाम)
तमाम निवासी डायलाना खुर्द तहसील देसूरी जिला पाली राजस्थान
10– तहसीलदार देसूरी, भूमिधारी राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–
1. दिनेश कुमार माली, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2. बाबुलाल कुमावत अधिवक्ता वास्तें अप्रार्थीगण संख्या एक से चार
3. सरकारी पैरोकार अप्रार्थीगण संख्या दस

लगातार पेज संख्या पर...

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

"आदेश"

दिनांक : 30/11/2018

वकील प्रार्थी मय प्रार्थी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया कि ग्राम डायलाना खुर्द तहसील देसूरी जिला पाली राजस्थान पुराना खसरा नंबर 67 रकबा 7 बिघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 67/1 रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 67/2 रकबा 1 बिस्वा, कुल रकबा 7 बिघा 13 बिस्वा लगान 26.25 रुपयें विद्यमान रही है, जिसके दौराने सेटलमेंट नये खसरा नंबर 85 क्षेत्रफल 1.3400 हैक्टर किस्म जाव अव्वल चाही प्रथम लगान 40.10 रुपयें की कृषि भूमि खातेदारी हक अधिकार की विद्यमान है। कृषि भूमि के सहखातेदार हाल सेटलमेंट पूर्व प्रार्थी और प्रार्थी के भाई हरनाथसिंह, रणजीतसिंह तथा सोहनसिंह, लखसिंह पुत्र गेनसिंहजी थे, तत्कालीन सहखातेदार संयुक्त हिन्दू परिवार के सहखातेदारन के मध्य विभाजन होने से उक्त खसरा संख्या 85 की कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी और आधिपत्य की विद्यमान रही लेकिन भू अधिकार अभिलेखों में सहखातेदारन का नाम इन्द्राज होने से श्रीमान् सहायक कलक्टर देसूरी के समक्ष वाद संख्या 46/87 प्रार्थी द्वारा विरूद्ध हरनाथसिंह, रणजीतसिंह तथा सोहनसिंह, लखसिंह पुत्र गेनसिंहजी पेश किया गया, जो वाद पक्षकारान की सहमति से दिनांक 21.08.1987 प्रार्थी के पक्ष में डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी माफिक समझौता प्रार्थी के कब्जा काश्त और खातेदारी में इन्द्राज करने के आदेश दिये गये। वाद संख्या 46/87 में हुए निर्णय और डिक्री से हरनाथसिंह, रणजीतसिंह पुत्र दुर्जनसिंह, सोहनसिंह, लखसिंह पुत्र गेनसिंहजी अर्थात् अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को कोई हक अधिकार नहीं रहे है। जो खसरा परिशोधन पत्रक, संवत् 2032– 35 के खाता संख्या 182 की जमाबंदी जमाबंदी, खसरा मिलान, न्यायालय निर्णय एवं वर्तमान खतौनी इत्यादी से प्रमाणित है। दौराने सेटलमेंट प्रार्थी के पक्ष में जारी निर्णय और डिक्री की पालना में एक मात्र प्रार्थी का नाम वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में इन्द्राज कर भू प्रबंध विभाग द्वारा जमाबंदी जारी की जानी थी; लेकिन भू प्रबंध विभाग की कार्यवाही के दौरान जारी जमाबंदी संवत् 2041 से 60 के खाता संख्या 173 में प्रार्थी विजयसिंह पुत्र दुर्जनसिंह कौम राजपूत सा. देवडों का गुडा खातेदार के बाद सेवन और भूल वश तथा बिना किसी विधिक आदेश, हक अधिकारीता के "पेपसिंह पुत्र प्रेमसिंह 1/2 हरनाथसिंह रणसिंह व पेसिंह पि दुर्जनसिंह, सोहनसिंह पुत्र गेनसिंह1/4 केशरसिंह पुत्र किशनसिंह 1/4 कौम राजपूत सा. देह. खातेदार" का इन्द्राज कर दिया जो विलोपित किया जाना आवश्यक हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है, अप्रार्थी संख्या 5 से 9 तथाकथित नाम है जो प्रार्थी की जानकारी में नहीं है। उक्त नामों के व्यक्ति प्रार्थी की जानकारी में स्थानीय निवासी नही है और नाही उक्त भूमि से उनका कोई संबध ही है,

लगातार पेज संख्या पर.....

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

और नाही पूर्व में कभी रहा है। दौराने हाल सेग्रीगेशन में प्रार्थी के गांव का नाम विलोपित कर सा. देह खातेदार और भूमि गलत रूपेण इन्द्राज कर दी जबकि संवत् 2069– 72 की जमाबंदी के खाता संख्या 239 में प्रार्थी की वल्दियत से जाति और गांव का नाम इन्द्राज भू प्रबंध विभाग के द्वारा बिना किसी विधिक आदेश या प्रभाव के अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के नामों का इन्द्राज कर गंभीर भूल और त्रुटी की गई है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के नामों को उक्त खातेदारी कृषि भूमि के भू अधिकार अभिलेखों से विलोपित किया जाकर भू प्रबंध कार्यक्रम के दौरान की गई लिपिकिय भूल एवं त्रुटि को दुरूस्त कर उक्त कृषि भूमि के भू अधिकार अभिलेखों से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के नामों को विलोपित किया जाकर एक मात्र प्रार्थी का नाम यथावत रखते हुए निवासी देवडों का गुडा का इन्द्राज भू अभिलेखों मे यथावत रखने का आदेश प्रदान करावे। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक से चार ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर माफिक निर्णय और डिक्री दिनांक 21.08.1087 के प्रार्थी के नाम वादग्रस्त आराजी इन्द्राज करने में सहमती देते हुए जवाब पेश किया गया है।

पक्षकारो की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पक्ष में जारी डिक्री एवं निर्णय दिनांक 21.09.1987 से वादग्रस्त आराजी पर एक मात्र हक अधिकार प्रार्थी को निहित है, हाल सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी एवं निर्णय डिक्री अनुसार प्रार्थी के नाम भू प्रबंध विभाग को जमाबंदी जारी करनी थी लेकिन भूल एवं सेवन से अप्रार्थी संख्या एक से चार के नाम गलत रूपेण जमाबंदी में इन्द्राज कर दिये और अप्रार्थी संख्या पांच से नौ तथाकथित व्यक्तियों के नाम इन्द्राज कर दिये गये है। जो विलोपित किये जाकर संवत् 2069– 72 की जमाबंदी के खाता संख्या 239 एवं निर्णय डिक्री दिनांक 21.09.1987 के अनुसार प्रार्थी के नाम इन्द्राज करने का आदेश प्रदान करावें। जवाब में अप्रार्थी ने बहस प्रार्थी स्वीकार की है।

बहस उभयपक्षो की सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा परिशोधन पत्रक, संवत् 2032– 35 के खाता संख्या 182 की जमाबंदी, जमाबंदी, खसरा मिलान, न्यायालय निर्णय डिक्री दिनांक 21.09.1987 एवं वर्तमान खतौनी इत्यादी का अवलोकन किया गया। प्रभावित अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया। पूर्व वाद संख्या 46/87 में दिये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.09.1987 एवं पूर्व जमाबंदी संवत 2032 – 35 के खाता संख्या 182 के इन्द्राजों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा नयी जमाबंदी बनाते समय जमाबंदी में किये गये इन्द्राज "विजयसिंह पुत्र दुर्जनसिंह कौम राजपूत सा. देवडों का गुडा खातेदार" के आगे के इन्द्राज

लगातार पेज संख्या पर.....

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

लिपिकिय त्रुटी और भूल से इन्द्राज किया जाना स्पष्ट होता है। पूर्व जमाबंदी संवत 2032– 35 के खाता संख्या 182 के दौरान वाद संख्या 46/87 में दिये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.09.1987 की पालनार्थ ही नई जमाबंदी में इन्द्राज किये जाने थे लेकिन भू प्रबध के बाद जारी जमाबंदी में संवत 2032– 35 के खाता संख्या 182 की जमाबंदी अनुसार तथा निर्णय डिक्री अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी खातेदार के नाम यथावत इन्द्राज नहीं करके भी भू प्रबंध कार्यक्रम के दौरान भूल की गई है, जिसे प्रभावित अप्रार्थी ने जवाब में स्वीकार किया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा गांव डायलाना खुर्द तहसील देसूरी जिला पाली राजस्थान के खसरा संख्या 85 क्षेत्रफल 1.3400 हैक्टर के भू अधिकार अभिलेखों में प्रार्थी "विजयसिंह पुत्र दुर्जनसिंह कौम राजपूत सा. देवडों का गुडा खातेदार" के नाम का इन्द्राज यथावत रखते हुए, किये जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 9 के नामों को उक्त आराजी के भू अधिकार अभिलेखों से विलोपित करने का आदेश दिया जाता हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार देसूरी को अलग से तहरीर जारी की जावे। इस कदर पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (राज.)

आदेश आज दिनांक 20 नबम्बर 2018 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय मे हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (राज.)